राजस्व वाद संख्या:- 105/2019
लालचन्द बनाम जयसिंह आदि
निर्णय दिनांक:- 24.11.2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 105/2019

लालचन्द पुत्र श्री नाथा आयु 78 साल जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

— प्रार्थी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र श्री गणपत आयु 55 साल जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनयम

:: निर्णय ::

दिनांक -24.11.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि-

यह कि आवेदक की कृषि भूमि हाल खसरा न0 201 वाके ग्राम कासनी में आने व जाने के लिए नजरी नक्शा में दर्शित ए से बी रास्ता भूमि हाल ख0न0 689/244 गैर मुमकिन रास्ता के उतरी सिरे से हाल ख0न0 779/244 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे हाल ख0न0 779/244 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे हाल ख0 न0 201 तक 30 फुट चौड़ा नया रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा में अंकित किये जाने का व मौके पर अवरूद्ध होने पर खुलवाये जाने का आदेश अनावेदक नं0 3 को दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से श्री रामेश्वर दयाल एडवोकेट ने वकालतनामा तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया ।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्याः– 105/2019
लालचन्द बनाम जयसिंह आदि
निर्णय दिनांकः– 24.11.2021

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार सूरजगढ़ की मौका रिपोर्ट।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 में ग्रम पंचायत पिलोद में पेश कि गई । कैम्प में अप्रार्थी संख्या 1/2 श्री राजपाल तथा श्री रामेश्वर दयाल एड0 उपस्थित हुए। उनके समक्ष फर्द मौका रिपोर्ट 13.10.2020 प्रदर्श की गई। फर्द मौका रिपोर्ट में दो प्रचलित रास्ते दर्शाये गए है। पटवारी हल्का को उक्त रास्तों को नियमानुसार नियमन हेतु निर्देशित किया गया। चूकि हल्का पटवारी रिपोर्ट में दो वैकल्पिक प्रचलित रास्ते दर्शाये गये है जो वर्तमान चालू है इस परिस्थित में A-B रास्ते की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है । पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर न्यायालय प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

भूमि खेत ख0न0 201 रकबा 3.69 हैक्टर स्थित ग्राम कासनी तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक प्रचलित रास्ते उपलब्ध होने के कारण खारिज किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि नवीनतम राजस्व दिशा निर्देशों अनुसार पटवारी रिपोर्ट में चालु प्रचलित रास्तो को सुगम व सुस्थापित प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 अभियान पूर्ण होने से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner